राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3254 / 2024

विनोद कुमार मीणा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
3. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर।
4. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

–प्रत्यर्थीगण

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 05.11.2024
आदेश की दिनांक : 07.11.2024

अपीलार्थी की ओर से : श्री विक्रम सिंह राठौड़, अधिवक्ता

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी वर्तमान में नायब तहसीलदार के पद पर कार्यालय तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 11.10.2024 (अनुलग्नक ए–1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से नायब तहसीलदार सूडसर जिला बीकानेर में राजेन्द्र प्रसाद के स्थान पर बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के किया गया। अपीलार्थी के स्थान पर स्थानान्तरण आदेश दिनांक 11.10.2024 द्वारा ही ममता गवां नायब तहसीलदार लूणकरणसर जिला बीकानेर का पदस्थापन किया गया। ममता गवां का उक्त स्थानान्तरण आदेश दिनांक 11.10.2024 को आदेश दिनांक 28.10.2024 (अनुलग्नक ए–2) द्वारा ममता गवां की हद तक निरस्त कर दिया गया। नायब तहसीलदार तहसील पदमपुर का पद रिक्त होने के कारण अपीलार्थी का स्थानांतरण आदेश दिनांक 11.10.2024 निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थी स्थानांतरण आदेश दिनांक 18.08.2023 (अनुलग्नक ए–3) द्वारा नायब तहसीलदार, पदमपुर जिला श्रीगंगानगर में पदस्थापित हुआ है। अपीलार्थी को तहसील पदमपुर में कार्यग्रहण किये हुए मात्र 14 माह ही हुए है। राज्य सरकार की स्थानांतरण नीति है कि किसी भी कर्मचारी / अधिकारी को एक ही स्थान पर पदस्थापन कम से कम 02 वर्ष रखा जाना चाहिए। अपीलार्थी की पत्नी मीरां देवी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, 4इइ तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर में वरिष्ठ अध्यापक के रूप में कार्यरत

है। राज्य सरकार की स्थानांतरण नीति है कि पति पत्नी दोनों राजकीय सेवा में हो तो दोनों को एक ही जिला में पदस्थापित रखना चाहिए। वर्तमान स्थानांतरण आदेश से अपीलार्थी का स्थानांतरण एक जिले से दूसरे जिले में लगभग 250 किलोमीटर दूर किया गया है। अपीलार्थी के स्थान पर आज दिनांक तक किसी भी नायब तहसीलदार का पदस्थापन नहीं किया गया है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 11.10.2024 (अनुलग्नक ए–1) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त किया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी को नायब तहसीलदार के पद पर तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर में कार्य करने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करें।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी अपील में अंकित तथ्यों के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहता है अतः अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी परिवेदना प्रस्तुत कर सके।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/ दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य